रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08072026-274228
CG-MH-E-08072026-274228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948
No. 435] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 03 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिहृतक) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2026/308.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिहृतक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिहृतक) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम 1 अक्तूबर, 2026 को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिहृतक) विनियम, 1996 में, -

(I) विनियम 9(घ) में, शब्दों तथा अक्षरों "यह द्वितीय अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट वार्षिक फीस का संदाय उसके भाग ख में विनिर्दिष्ट रीति से करेगा" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अक्षर "वह दूसरी अनुसूची के भाग-क में बताई गई मासिक फीस उसी तरह अदा करेगा, जैसा उस अनुसूची के भाग-ख में बताया गया है" आ जाएंगे।

(II) विनियम 26(झ) में, शब्द "वार्षिक" के स्थान पर शब्द "मासिक" आ जाएगा।

(III) दूसरी अनुसूची में,

(i) भाग-क में, खंड (iii) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "वार्षिक फीस रु.10,00,000/- या अभिरक्षक (कस्टोडियन) की 'अभिरक्षा के अधीन आस्तियों' का 0.0005%, जो भी उच्चतर हो" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "मासिक फीस रु.85,000 या कस्टोडियन की कस्टडी में जो भी असेट्स हों, उनका ('असेट्स अंडर कस्टडी' / अभिरक्षा के अधीन आस्तियों का) 0.0000416%, (इनमें से जो भी ज्यादा हो)" आ जाएंगे ।

(ii) भाग-ख में, खंड (II) में,

क) शब्द "वार्षिक फीस का भुगतान" के स्थान पर शब्द "मासिक फीस का भुगतान" आ जाएगा ।

ख) उप-खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2026 के लागू होने की तारीख से ही, हर महीने की मासिक फीस उस महीने के समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, अदा करनी होगी ।"

ग) उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) जिस कस्टोडियन (अभिरक्षक) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2026 के लागू होने की तारीख को और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाए, वह जिस महीने में उसे रजिस्ट्रेशन प्रदान जाए उस महीने की मासिक फीस आनुपातिक आधार पर अदा करेगा और उसके बाद जिस महीने तक वह रजिस्टर रहे उस हर महीने की पूरी मासिक फीस अदा करता रहेगा ।"

घ) उप-खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) जिस कस्टोडियन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2026 के लागू होने की तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा चुका हो, वह इस वित्तीय वर्ष की वार्षिक फीस आनुपातिक आधार पर अदा करेगा और उसके बाद जिस महीने तक वह रजिस्टर रहे उस हर महीने की पूरी मासिक फीस अदा करता रहेगा । इस तरह से आनुपातिक आधार पर अदा की जाने वाली वार्षिक फीस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2026 के लागू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अदा करनी होगी:

परंतु यह कि यदि किसी कस्टोडियन द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2026 के लागू होने की तारीख से पहले कोई वार्षिक फीस उस अवधि की अदा कर दी गई हो, जिसके सभी दिन या कुछ दिन इन संशोधन विनियमों के लागू होने की तारीख से बाद वाली अवधि के हों, तो ऐसे में इस प्रकार अदा की जा चुकी फीस की वह रकम इस उप-खंड के तहत अदा की जाने वाली फीस की रकम में से घटा दी जाएगी ।"

ङ) उप-खंड (4) में, शब्दों तथा चिह्नों "वार्षिक फीस के भुगतान के साथ अभिरक्षा के अधीन आस्तियों का विवरण संलग्न होगा जो ऐसे फार्मेट में होगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और जिसकी सत्यता तथा पूर्णता अभिरक्षक (कस्टोडियन) की अभिरक्षा सेवाओं के कार्यात्मक प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जाएगी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "मासिक फीस अदा करते समय बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मेट में उन असेट्स का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा जो कस्टोडियन की कस्टडी में हों ('असेट्स अंडर कस्टडी' / अभिरक्षक के अधीन आस्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा) और कस्टोडियन के कस्टडी सर्विसेज़ के फंक्शनल हेड (कस्टडी से जुड़ी सेवाओं के प्रभारी) द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसमें दी गई जानकारी सही है और पूरी जानकारी दी गई है" आ जाएंगे ।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./204/2026-27]

<u>टिप्पणी</u> :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिहृतक) विनियम, 1996, [सं. का.आ. 344(अ)] 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 23 सितम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिहृतक) (संशोधन) विनियम, 2025, (अधिसूचना सं. सेबी/एल.एडी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/267) द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CUSTODIAN) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2026/308.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, namely –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2026

2. They shall come into force on October 1, 2026.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, –

I. In regulation 9(d), the word "annual" shall be substituted with the word "monthly".

II. In regulation 26(i), the word "annual" shall be substituted with the word "monthly".

III. In the Second Schedule,

(i) In Part A, in clause (iii), the words and symbols "Annual fee Rs. 10,00,000 or 0.0005" shall be substituted with the words and symbols "Monthly fee Rs. 85,000 or 0.0000416".

(ii) In Part B, in clause (II),

a) the words and symbol "Payment of annual fee." shall be substituted with the words "Payment of monthly fee".

b) sub-clause (1) shall be substituted with the following, namely, -

"(1) On and from the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2026, the monthly fee shall be payable with reference to each month, within 15 days of completion of the month."

c) sub-clause (2) shall be substituted with the following, namely, -

"(2) A custodian who is granted registration on and after the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2026, shall pay proportionate monthly fee in respect of the month in which he was granted

registration and full monthly fee for every subsequent month during which the registration subsists."

d) sub-clause (3) shall be substituted with the following, namely, -

"(3) A custodian who is granted registration before the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2026, shall pay proportionate annual fee in respect of the financial year of such commencement and full monthly fee for every subsequent month during which the registration subsists. Such proportionate annual fee shall be payable within 15 days of the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2026:

Provided that any annual fee paid by a custodian before the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2026, in respect of a period, the whole or part of which falls after such commencement, shall be proportionately adjusted against the amount payable under this sub-clause."

e) in sub-clause (4), the word "annual" shall be substituted with the word "monthly".

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./204/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 were published in the Gazette of India on May 16, 1996 vide S.O. No. 344 (E) and was last amended on September 23, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/267.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.08 14:10:16 +05'30'